7/5/2020 पक्षकार/पक्षकारान व अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 16/06/2020 को प्रस्तुत करें।

16/06/20 …कार/पक्षकारान व अधिवक्ता

पीठा… …ी की मिटिंग में/भ्रमण, अवकाश… …ए है, इसलिए प्रकरण …नके समक्ष दिनांक 20.7.20 को …त करें।

…कार/पक्षकारान व अधिवक्ता

20.7.20 पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण, अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण …नके समक्ष दिनांक 20.8.20 को …त करें।

20/8/20: वकील प्रार्थी उप० मिसल में अप्रार्थी की स्वयं माफी होकर शा०मि० है। जो आज पत्रावली पर ली जाती है। बहस उभय पक्षकारान/सपदीगार सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 04/9/20 को पेश हो।

(हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

04/9/20: वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 136 KLR Act स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाकर शामि० है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) …, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र 68/2019
मदनकवंर बनाम तहसीलदार जायल

न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी : रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना संख्या 68/2019

प्रार्थी – मदनकवंर पत्नी गोविन्दसिंह
जाति–राजपूत निवासी–मीठा मांजरा तहसील जायल जिला–नागौर

बनाम

अप्रार्थी – तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. श्री रामप्रकाश बेन्दा प्रार्थीया की ओर से।
2. तहसीलदार जायल उपस्थित।

दिनांक : 04/9/2020

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेन्दा अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया का वास्तविक नाम मदन कवंर पत्नी गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी मीठा मांजरा तहसील जायल है तथा इनकी खातेदारी की भूमि ग्राम मीठा मांजरा पटवार हल्का आकोड़ा तहसील जायल में आई जिसमें उनका नाम मधुकवर व मगन कवंर दर्ज है, उक्त नाम का एक ही महिला के ही है। उक्त नाम प्रार्थीया के उपनाम होने के कारण सहवन से नामान्तकरण दर्ज करते एवं नई जमाबंदी चौसाला बनाते समय राजस्व कर्मियों से सहवन से भूलवशः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इतने दिनों तक प्रार्थियों को इन विभिन्न नामो से कोई परेशानी नहीं हुई ना ही सरकारी योजना का लाभ प्राप्त किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। अब किसान क्रेडिट कार्ड बैंक खाता तथा अन्य सरकारी ऑनलाईन काम होने से तथा कम्प्यूटर में नाम का मिलान नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़

सहायक कलक्टर कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
04/9/2020

Scanned with CamScanner

रहा है। इस नाम को दुरस्त किये जाने से किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई हक प्रभावित नहीं होगा तथा प्रार्थीया को अपने काम में सुविधा हो जायेगी। अतः अतः प्रार्थीया का नाम ग्राम मीठा मांजरा पटवार हल्का आकोड़ा तहसील जायल के खाता संख्या 140 में वर्णित खसरान में कृषक खातेदार का नाम मधुकवंर पत्नी गोविन्दसिंह एवं खाता संख्या 136 में वर्णित खसरान में दर्ज कृषक खातेदार मगनकवंर पत्नी गोविन्दसिंह की जगह मदनकवंर पत्नी गोविन्दसिंह शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तहसीलदार जायल को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिन्होने जरिये पत्रांक : भू.अ./2020/380 दिनांक 11.02.2020 के रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में क्रमशः मधुकवंर, मगनकवंर पत्नी गोविन्दसिंह के स्थान पर मदनकवंर पत्नी गोविन्दसिंह शुद्ध किये जाने मे सहमति व्यक्त की। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर एक्ट की सम्पुष्टि के परिपेक्ष्य में नकल जमाबंदी खाता संख्या 140, 136 आधारकार्ड संख्या 8938 6528 5097, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक की पास बुक की फोटो प्रति, पैन कार्ड की फोटो प्रति पेश की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थीया की सुनी गई। दोराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया तथा ग्राम मीठा मांजरा पटवार हल्का आकोड़ा तहसील जायल के खाता संख्या 140 व 136 में प्रार्थीयां नाम मदनकवंर पत्नी शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत् तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात् ग्राम मीठा मांजरा पटवार हल्का आकोड़ा तहसील जायल की नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 140 136 में प्रार्थीयां का नाम क्रमशः मधुंकवर, मगनकवंर पत्नी गोविन्दसिंह राजपूत निवासी मीठा मांजरा तहसील जायल दर्ज है जिसके स्थान पर मदनकवंर पत्नी गोविन्दसिंह राजपूत निवासी मीठा मांजरा तहसील जायल शुद्ध

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
04/9/2020

Scanned with CamScanner

किये जाने में तहसीलदार (अप्रार्थी) ने सहमति व्यक्त की है। इसी प्रकार आधारकार्ड संख्या 8938 6528 5097, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक की फोटो प्रति से प्रार्थीयां सही नाम मदनकवंर होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तहसीलदार जायल की अभिशंषा रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टयां [redacted] साबित है कि प्रार्थीयां मदनकवंर, मधुकवंर, मगनकवंर तीनों एक ही महिला के नाम है जिसमें से प्रार्थीया का वास्तविक नाम मदनकवं पत्नी गोविन्दसिह राजपूत निवासी मीठा मांजरा तहसील जायल ही है।

अतः प्रार्थी का नाम ग्राम मीठा मांजरा पटवार हल्का आकोड़ा तहसील जायल के जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या क्रमश 140 व 136 में दर्ज खातेदार का नाम मदनकवंर पत्नी गोविन्दसिंह राजपूत निवासी मीठा मांजरा तहसील जायल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 [redacted]कार किया जाकर तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम मीठा मांजरा पटवार हल्का आकोड़ा तहसील जायल के खाता संख्या 140 व 136 में दर्ज खातेदार कृषक मधुकवंर पत्नी गोविन्दसिंह व मगनकवरं पत्नी गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी मीठा मांजरा तहसील जायल के स्थान पर मदनकवंर पत्नी गोविन्दसिंह राजपूत निवासी–मीठा मांजरा तहसील जायलशुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 04/9/2020 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

04/9/2020
(नरेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

सहायक कलक्टर (नि.वि.) जायल

Scanned with CamScanner